

कार्यालय वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बाँदा

पत्रांक ५४८६ / ३३१ / दिनांक: बाँदा : मार्च २८, २०१८

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बाँदा वन वन्य जीव प्रभाग, बाँदा।

विषय :- नरैनी से कार्लीजर तक सड़क के किमी० ३५.०० से ६०.८२५ तथा कार्लीजर बघेलाबारी सड़क के किमी० ०.०० से १.५० तक फोरलेन निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार है। मार्ग के दोनो तरफ अतिरिक्त संरक्षित वन भूमि के साथ १७६७ बाधक वृक्षों के अवपातन का प्रस्ताव सं०-FP/Up/Road/25036/2017 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-४४५७/३३-१ दिनांक २१.०३.२०१८।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्न कमियां पाई गई हैं। -

- १- ✓ प्रस्ताव के भाग-१ में परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं है। ✓ हो गया।
- २- पेज सं०-१९ में मांगी गई वन भूमि न्यूनतम है के प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
- ३- पेज सं०-२० में एन०पी०वी० प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर नहीं है।
- ४- पेज सं०-२१ में क्षतिपूरक प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर नहीं है।
- ५- पेज सं०-२३ में मक डिसपोजल प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर नहीं है।
- ६- पेज सं०-२५ के प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर नहीं है।
- ७- पेज सं०-२६ के प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर नहीं है।
- ८- बाधक वृक्षों की गणना रिपोर्ट के प्रत्येक पेज पर कार्यदायी संस्था एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है।
- ९- ✓ क्षतिपूरक प्राक्कलन में प्रति वर्ष दरों में १० प्रतिशत की वृद्धि कर प्राक्कलन संलग्न नहीं है। ✓ हो गया।
- १०- पेज सं०-६९ में प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है।
- ११- पेज सं०-७० से ८७ तक प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है।
- १२- डिजिटल मैप पेज सं०-८० पर हस्ताक्षर व मोहर अंकित नहीं है।
- १३- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा साइड इन्स्पेक्शन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।
- १४- वनाधिकारी अधिनियम-२००६ का जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- १५- प्रपोज साइड व सी०ए० साइड की के०एम०एल० फाइल की सी०डी० सभी प्रस्ताव की छायाप्रतियों में संलग्न नहीं है।

भवदीय



(भीमसेन)

वन संरक्षक,

चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा।

पत्रांक ५५७१ / ३३-१ दिनांक: बांदा: अप्रैल: ०२ , २०१८

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-१
लो०नि०वि०,
बांदा।

विषय - नरैनी से कालिंजर तक सड़क के किमी० ३५.००० से ६०.८२५ तथा कालिंजर बघेलाबारी सड़क के किमी० ०.०० से १.५०० तक फोरलेन निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार है। मार्ग के दोनों तरफ अतिरिक्त संरक्षित वन भूमि के साथ १७६७ बाधक वृक्षों के अवपातन का प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/25036/2017 में लगाई गयी आपत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा का पत्रांक-४४८६/३३-१ दिनांक २८.०३.२०१८

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव पर वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा के कार्यालय द्वारा १५ बिन्दुओं की आपत्ति लगाई गयी है (छायाप्रति संलग्न)। इस क्रम में अवगत कराना है कि आप अपने प्रतिनिधि को इस कार्यालय में भेज कर प्रस्ताव की हार्ड पर लगाई गयी आपत्तियों का शीघ्रताशीघ्र निराकरण करवाने का कष्ट करें ताकि प्रस्ताव को वापस उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय, 
(अरविन्द कुमार सिंह)
वन संरक्षक/प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा।